तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२8-8-२५	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के मल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी कापरेन (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 66/2018
दायरा दिनांक 19.11.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

बृजबिहारी आत्मज श्री कल्याण लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र – इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री बालालाल बीडा(अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी (सरकार पैरोकार)

दिनांकः– 28.08.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 1.91है0, खसरा संख्या 564/1393 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 565/1394 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 566 रकबा 2.81है0 एवं खसरा संख्या 593 रकबा 0.30है0 कुल किता 5 रकबा 5.84है0 ग्राम पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ में विस्थित है जो वर्तमान में प्रार्थी एवं उसकी बहिन गिर्राज बाई के खातेदारी अधिकार में राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज है। सम्तव् 2020 में राजस्व भू आलेखों में प्रार्थी के पिता कल्याण जी का 1/5 हिस्सा तथा लक्ष्मीनारायण जी का 1/5 हिस्सा दर्ज था। श्री लक्ष्मीनारायण जी लाऔलाद फौत हो गए थे और उनका 1/5 हिस्सा दिनांक 28.12.80 को जर्ये इन्तकाल संख्या 179 प्रार्थी के पास आया था जिसका इन्द्राज भी राजस्व भू आलेखों में हो चुका था और इस प्रकार प्रार्थी के पास कल्याण जी के हिस्से 1/5 का आधा भाग यानी 1/10 हिस्सा एवं लक्ष्मीनारायण जी का 1/5 हिस्सा यानी कुल 3/10 भाग एवं प्रार्थी की बहिन गिर्राज बाई का 1/10भाग ही राजस्व भू आलेखों में दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने प्रार्थी एवं उसकी बहिन गिर्राज बाई के समानाधिकार में दर्ज कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों ने सहवन बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए कल्याण जी एवं लक्ष्मीनारायण जी दोनों के हिस्सों पर प्रार्थी एवं उसकी बहिन का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी की बहिन कल्याण जी के आधे भाग की ही अधिकारी है और लक्ष्मीनारायण जी के हिस्से पर उसका कोई अधिकार नहीं था जिसका

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

संशोधन किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम पीपल्दा थाक पर प्रार्थी का भाग 3/10 तथा गिर्राज बाई का 1/10 हिस्सा दर्ज फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ सरकार पैरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम पीपल्दा थाग के वर्तमान खसरा संख्या 506 रकबा 1.91है0, खसरा संख्या 564/1393 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 565/1394 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 566 रकबा 2.81है0 एवं खसरा संख्या 593 रकबा 0.30है0 कुल किता 5 रकबा 5.84है0 बृजबिहारी वल्द कल्याण व गिर्राज बाई पत्नी वृन्दावन बिहरीलाल कौम ब्राह्मण सा0 कोटडी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा संख्यान के पुराने खसरा संख्या 380/1 रकबा 12बिघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 384/1 रकबा 23 बिघा 9बिस्वा, खसरा संख्या 386/1 रकबा 18बिघा 6बिस्वा, खसरा संख्या 387/1 रकबा 12बिघा, खसरा संख्या 388/1 रकबा 8बिघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 389/1 रकबा 1बीघा 18बिस्वा बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5, राधावल्लभ हिस्सा 1/5, भंवरलाल, बृजलाल,मदनलाल हिस्सा 1/10 कौम ब्राह्मण साकिन बडाखेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। जमाबंदी सम्वत् 2036–39 में नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 28.12.1980 से लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 दर्ज हुआ। इसी जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 30.07.1983 से विभाजन का नमांतकरण स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवारे के नामांतकरण में खसरा संख्या 380/1 रकबा 12बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 384/1 रकबा 5 बीघा 7बिस्वा, खसरा संख्या 386/1 रकबा 18बीघा 6बिस्वा, खसरा संख्या 392 रकबा 2बीघा किता 4 कुल रकबा 38 बीघा 1बिस्वा बृजबिहारी पुत्र कल्याण व गिरिराज बाई के नाम दर्ज हुई। उक्त बंटवारा माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 10.05.1977 की पालना में तहसीलदार के0पाटन द्वारा दिनांक 06.08.1981 को प्राथमिक बंटवारा तैयार करने बाबत् लिखा गया था जिसमें दिनांक 31.08.1981 को श्रीमान् सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई थी। उक्त डिक्री की पालना में नमांतकरण संख्या 207 दिनांक 30.07.1983 में बंटवारा स्वीकृत हुआ परन्तु नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 28.12.1980 से उक्त खाते में लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 के स्थान पर प्रार्थी पृथ्थक से दर्ज हो चुका था तथा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.11.1980 को तैयार बंटवारे में प्रार्थी बृजबिहारी का हिस्सा 2/5 मानकर 38 बीघा 1 बिस्वा का बंटवारा तैयार किया था। इस प्रकार नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 1983 के बंटवारा नोट में बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 3/10 एवं गिर्राज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हिस्सा 1/10 दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से तत्समय हिस्सा दर्ज नहीं किया गया जिससे तत्कालीन एवं वर्तमान जमाबंदी में बृजबिहारी पुत्र कल्याण एवं गिरिराज बाई का नाम समान हिस्सा प्रतीत होता है। सहवन से हुई उक्त त्रुटि को शुद्ध करके वर्तमान जमाबंदी में कृषि भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 1.91है0,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

खसरा संख्या 564/1393 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 565/1394 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 566 रकबा 2.81है0 एवं खसरा संख्या 593 रकबा 0.30है0 कुल किता 5 रकबा 5.84है0 वाके ग्राम पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थी बृजबिहारी आ0 कल्याण हिस्सा 3/10 व गिरिराज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हस्सा 1/10 नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में प्रार्थी के साक्ष्य करवाये गए। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं का दोहराव करते हुए कथन किया कि स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी ने इनका विवादित भूमि में 1/5 सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी को दे दिया था जिसका नामां0 सं0 179 खोल दिया गया था जिसका इन्द्राज भू आलेखों में हो चुका था किन्तु लिपिकीय त्रुटि से स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण की भूमि में प्रार्थी का एकाधिकार होने के बाद भी इसने गिर्राज बाई का समान अधिकार होना दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करने का माननीय न्यायालय को अधिकार है। गिरिजा बाई एवं प्रार्थी अपने पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार रखते है और इस प्रकार इस प्रकार कल्याण जी के हिस्से 1/5 का आधा भाग यानी 1/10 हिस्सा एवं लक्ष्मीनारायण जी का 1/5 हिस्सा यानी कुल 3/10 भाग एवं प्रार्थी की बहिन गिर्राज बाई का 1/10 भाग राजस्व भू आलेखों में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2004 पेज संख्या 23 पेश किया।

हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान खसरा संख्या 506 रकबा 1.91है0, खसरा संख्या 564/1393 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 565/1394 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 566 रकबा 2.81है0 एवं खसरा संख्या 593 रकबा 0.30है0 कुल किता 5 रकबा 5.84है0 बृजबिहारी वल्द कल्याण व गिर्राज बाई पत्नी वृन्दावन बिहरीलाल कौम ब्राह्मण सा0 कोटडी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा संख्यान के पुराने खसरा संख्या 380/1 रकबा 12बिघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 384/1 रकबा 23 बिघा 9बिस्वा, खसरा संख्या 386/1 रकबा 18बिघा 6बिस्वा, खसरा संख्या 387/1 रकबा 12बिघा, खसरा संख्या 388/1 रकबा 8बिघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 389/1 रकबा 1बीघा 18बिस्वा बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5, राधावल्लभ हिस्सा 1/5, भंवरलाल, बृजलाल,मदनलाल हिस्सा 1/10 कौम ब्राह्मण साकिन बडाखेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। जमाबंदी सम्वत् 2036–39 में नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 28.12.1980 से लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 दर्ज हुआ। इसी जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 30.07.1983 से विभाजन का नमांतकरण स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवारे के नामांतकरण में खसरा संख्या 380/1 रकबा 12बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 384/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी

बीघा 7बिस्वा, खसरा संख्या 386/1 रकबा 18बीघा 6बिस्वा, खसरा संख्या 392 रकबा 2बीघा किता 4 कुल रकबा 38 बीघा 1बिस्वा बृजबिहारी पुत्र कल्याण व गिरिराज बाई के नाम दर्ज हुई। उक्त बंटवारा माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 10.05.1977 की पालना में तहसीलदार के0पाटन को दिनांक 06.08.1981 को प्राथमिक बंटवारा तैयार करने बाबत् लिखा गया था जिसमें दिनांक 31.08.1981 को श्रीमान् सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई थी। उक्त डिक्री की पालना में नमांतकरण संख्या 207 दिनांक 30.07.1983 में बंटवारा स्वीकृत हुआ परन्तु नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 28.12.1980 से उक्त खाते में लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 के स्थान पर प्रार्थी पृथ्थक से दर्ज हो चुका था तथा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.11.1980 को तैयार बंटवारे में प्रार्थी बृजबिहारी का हिस्सा 2/5 मानकर 38 बीघा 1 बिस्वा का बंटवारा तैयार किया था। इस प्रकार नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 1983 के बंटवारा नोट में बृजबिहारी पुत्र कल्याण हिस्सा 3/10 एवं गिर्राज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हिस्सा 1/10 दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से तत्समय हिस्सा दर्ज नहीं किया गया जिससे तत्कालीन एवं वर्तमान जमाबंदी में बृजबिहारी पुत्र कल्याण एवं गिरिराज बाई का नाम समान हिस्सा प्रतीत होता है। सहवन से हुई उक्त त्रुटि को शुद्ध करके प्रार्थना पत्र में वर्णित वर्तमान जमाबंदी में कृषि भूमि वाके ग्राम पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थी बृजबिहारी आ0 कल्याण हिस्सा 3/10 व गिरिराज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हस्सा 1/10 नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित होगा। न्यायालय सहायक जिला कलक्टर, बून्दी प्रथम के प्रकरण सं 104/1968 निर्णय दिनांक 10.05.1977 से पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पीपल्दा थाग की कृषि भूमि में वादी के हिस्से की 1/5 का बंटवारा किए जाने हेतु तहसीलदार केशोरायपाटन को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा पत्र पेश करने के निर्देश किए गए थे। नकल नामांतकरण पंजिका ग्राम पीपल्दा थाग खाता संख्या 56 नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 28.12.1980 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदार लक्ष्मीनारायण व उनके पुत्र कल्याण की फौत हो जाने से कल्याण जी के पुत्र बृजबिहारी के नाम नामांतकरण तस्दीक कर लक्ष्मीनारायण के स्थान पर बृजबिहारी पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/5 दर्ज किया गया था जिससे उक्त कृषि भूमि पर बृजबिहारी पुत्र कल्याण का हिस्सा 2/5 अंकित किया गया। प्रस्तुत तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सहवन से दिनांक 20.11.1980 को तैयार बंटवारे में प्रार्थी बृजबिहारी का हिस्सा 2/5 मानकर 38 बीघा 1 बिस्वा का बंटवारा तैयार किया था जिससे माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी के बंटवारा अन्तिम डिक्री दिनांक 31.08.1981 में ग्राम पीपल्दा थाग की कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्से की 1/5 के स्थान पर 2/5 हिस्से का बंटवारा किया गया जिससे विभाजन का नामांतकरण नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 30.07.1983 से स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवारे के नामांतकरण में खसरा संख्या 380/1 रकबा 12बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 384/1 रकबा 5 बीघा 7बिस्वा, खसरा संख्या 386/1 रकबा 18बीघा 6बिस्वा, खसरा संख्या 392 रकबा 2बीघा किता 4 कुल रकबा 38 बीघा 1बिस्वा बृजबिहारी पुत्र कल्याण व गिरिराज बाई के

उपखण्ड अधिकारी
डाबेरी (बून्दी)

नाम दर्ज हुई। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पीपल्दा थाग की कृषि भूमि में प्रार्थी बृजबिहारी आ0 कल्याण हिस्सा 3/10 व गिरिराज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हिस्सा 1/10 नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित अवगत करवाया गया है। प्रस्तुत रिकॉर्ड व पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज के अवलोकन से हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 1.91है0, खसरा संख्या 564/1393 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 565/1394 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 566 रकबा 2.81है0 एवं खसरा संख्या 593 रकबा 0.30है0 कुल किता 5 रकबा 5.84है0 ग्राम पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थी बृजबिहारी आ0 कल्याण का हिस्सा 3/10 व गिरिराज बाई पत्नी वृन्दावन बिहारीलाल हिस्सा 1/10 का अंकन नियमतः राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तदानुसार रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। रहन संबंधी इन्द्राज बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)